भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1105

जिसका उत्तर 08.02.2024 को दिया जाना है

अवसंरचना विकास के परिणाम

1105. श्री धर्मेन्द्र कश्यप:

डॉ. उमेश जी. जाधव:

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

श्रीमती रंजीता कोली:

डॉ. सुजय विखे पाटील:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटील:

श्री कृष्णपाल सिंह यादव:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ:

श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

डॉ. मनोज राजोरिया:

श्री मोहनभाई कुंडारिया:

श्री दुष्यंत सिंह:

श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत नौ वर्षों के दौरान, भारत के सड़क नेटवर्क की लंबाई और वैश्विक रैंकिंग पर ध्यान केन्द्रित करते हुए किए गए इसके विस्तार का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश की अवसंरचना और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) सड़क और राजमार्ग निर्माण में प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और सबसे तेज निर्माण से संबंधित रिकार्ड क्या है;

(घ) इन उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रमुख रणनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ड.) वर्ष 2014 से सड़क परिवहन और राजमार्गों के लिए बजट आबंटन में की गई वृद्धि से किस प्रकार अवसंरचना विकास के वास्तविक परिणाम सामने आए हैं;

(च) विशेषकर कर्नाटक में वित्तपोषण में की गई वृद्धि के फलस्वरुप पूरी हो चुकी अथवा प्रगति पर चल रही अवसंरचना परियोजनाओं के विशिष्ट उदाहरणों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्र, विशेषकर कर्नाटक में जिला-वार, संपर्क, पहुंच और आर्थिक विकास किस प्रकार प्रभावित हुआ है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (छ) अंतिम उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क नेटवर्क मार्च, 2014 के लगभग 54,02,486 किलोमीटर से बढ़कर मार्च, 2019 में लगभग 63,31,791 किलोमीटर हो गया है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है।

यह मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय का बजटीय आवंटन 2013-14 के लगभग 31,130 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 2,76,351 करोड़ रुपये हो गया है। रारा पर पूंजीगत व्यय 2013-14 के लगभग 51,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 2,40,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। अर्थव्यवस्था का प्रमुख प्रवर्तक, अवसंरचना क्षेत्र का त्वरित आर्थिक वृद्धि और विकास में काफी योगदान है।

देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई मार्च, 2014 के 91,287 किलोमीटर से 1.6 गुना बढ़कर इस समय 1,46,145 किलोमीटर हो गई है। अप्रैल 2014 से बढ़े हुए बजटीय आवंटन से सड़कों की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। 4 लेन और उससे अधिक के रारा नेटवर्क की लंबाई 2014 के 18,371 किलोमीटर से 2.5 गुना से अधिक बढ़कर 46,720 किलोमीटर हो गई है। इसके अलावा 2 लेन से कम के राष्ट्रीय राजमार्गों का हिस्सा कुल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के 30% से घटकर 10% हो जाने से 2 लेन से कम के राष्ट्रीय राजमार्गों का हिस्सा 27,517 किमी से लगभग आधा होकर 14,350 किमी हो गया है।

मंत्रालय ने देश की लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के लिए उच्च गति पहुंच नियंत्रित रारा के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र, जहां भूवैज्ञानिक, पर्यावरणीय कारकों आदि को ध्यान में रखते हुए विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाता है, को छोड़कर यातायात आवश्यकता के अनुसार सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में पेव्ड शोल्डर मानकों के साथ न्यूनतम दो लेन का बनाने की सुधार करने की नीति भी अपनाई है।

एक्सप्रेसवे सहित 21 ग्रीन फील्ड पहुंच-नियंत्रित गलियारों पर परियोजना कार्यान्वयन पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग 3,658 किलोमीटर लंबाई में काम पूरा हो चुका है।

मंत्रालय ने विभिन्न प्रमुख परियोजनाओं या उसके खंडों का काम पहले ही पूरा कर लिया है और इन्हें यातायात के लिए खोल दिया गया है, ताकि आवाजाही में सुगमता हो। इनमें दिल्ली-दौसा-लालसौट खंड (229 किमी) और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का मध्य प्रदेश में पूरा खंड (210 किमी), राजस्थान में अमृतसर-भटिंडा-जामनगर (470 किमी), हैदराबाद-विशाखापत्तनम का सूर्यापेट - खम्मम खंड, इंदौर-हैदराबाद (175 किमी), बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे (118 किमी), रारा-37ए (पुराना) पर असम में तेजपुर के पास नया ब्रह्मपुत्र पुल, मिजोरम में कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, रारा-44ई का शिलांग नोंगस्टोइन-तुरा खंड और मेघालय में रारा-127बी शामिल हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय के कई प्रमुख गलियारे उदाहरणार्थ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का वडोदरा-मुंबई खंड, बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु रिंग रोड, रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारा, उत्तराखंड में चार धाम परियोजनाएं, अरुणाचल प्रदेश में ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग (रारा-13, रारा-15 और रारा-215), मणिपुर में इंफाल-मोरेह खंड, दीमापुर-कोहिमा खंड आदि प्रगति पर हैं।

इस अवधि के दौरान कर्नाटक में शुरू की गई बड़ी प्रमुख परियोजनाओं में बेंगलुरु - मैसूर एक्सप्रेसवे (118 किमी), रारा-4 (63 किमी) के हावेरी-हुबली खंड को छह लेन का बनाना, बेंगलुरु - चेन्नई एक्सप्रेसवे (262 किमी), बेंगलुरु रिंग रोड़ (280 किमी), सोलापुर-कुर्नूल-चेन्नई गलियारा (329 किमी) आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, राज्य में अप्रैल 2014 से लगभग 55,765 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 4,755 किमी रारा के निर्माण से कर्नाटक के सभी जिले रारा से जुड़े हुए हैं।

उपरोक्त विकास से कर्नाटक सहित क्षेत्रीय संपर्कता और देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों तक पहुंच में वृद्धि हुई है और लॉजिस्टिक दक्षता भी बढ़ी है।

पिछले नौ वर्षों के दौरान निर्मित रारा की लंबाई का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:-

	लंबाई किमी में					रारा निर्माण की
वर्ष	**सुदृढ़ीकरण आदि**	**2 लेन**	**4 लेन**	**6/8 लेन**	**कुल**	**गति (किमी/दिन)**
2014-15	649	2,750	733	278	**4,410**	**12**
2015-16	802	3,970	1,010	279	**6,061**	**17**
2016-17	1,349	5,060	1,655	167	**8,231**	**23**
2017-18	2,446	4,868	2,199	316	**9,829**	**27**
2018-19	1,719	6,033	2,517	587	**10,855**	**30**
2019-20	862	6,031	2,728	616	**10,237**	**28**
2020-21	4,907	4,408	2,913	1,099	**13,327**	**37**
2021-22	2,790	3,704	2,798	1,165	**10,457**	**29**
2022-23	2,152	3,544	3,294	1,341	**10,331**	**28**

मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के लिए बीएमपी के हिस्से के रूप में विकास के लिए 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) की पहचान की है। बीएमपी-I के तहत विकास के लिए 15 एमएमएलपी को प्राथमिकता दी गई है।

मंत्रालय ने 2016 से लगभग 3.46 करोड़ पेड़ लगाकर हरित पहल की है, इसके अलावा कार्बन समाप्त करने और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तटबंध निर्माण के लिए नगर निगम के कचरे, बिटुमिनस निर्माण में अपशिष्ट प्लास्टिक और सीमेंट कंक्रीट निर्माण में अपशिष्ट स्लैग का उपयोग किया जा रहा है।

देश में रारा नेटवर्क की उपरोक्त उल्लेखनीय वृद्धि और उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा अपनाई/लागू की गई प्रमुख रणनीतियां निम्नानुसार हैं:-

i. मंत्रालय ने विरासत में मिली रुकी हुई परियोजनाओं (2013-14 तक रुकी हुई परियोजनाएं) को उच्चतम स्तर पर कड़ी निगरानी और एक बार निधि निवेश, प्रतिस्थापन, समाप्ति और रीपैकेजिंग आदि जैसे उपयुक्त नीतिगत उपायों द्वारा समाधान किया
ii. परियोजनाओं और अनुबंध दस्तावेजों को तर्कसंगत बनाकर ठेकेदार के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना
iii. डीपीआर तैयार करने सहित सभी परियोजना नियोजन को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना
iv. भूमि अधिग्रहण और निर्माण-पूर्व कार्य-कलापों के संदर्भ में पर्याप्त तैयारी के बाद परियोजनाओं को सौंपना
v. रेलवे द्वारा जीएडी (जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग) के अनुमोदन के लिए सरलीकृत प्रक्रिया
vi. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना
vii. नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना और मानकों तथा विशिष्टताओं का लगातार अद्यतन करना
viii. नवोन्मेषी वित्तपोषण मॉडल आदि से संसाधन जुटाना।
ix. निधियों में नगदी प्रवाह बढ़ाने के लिए "आत्मनिर्भर भारत" के तहत अनुबंध प्रावधानों में छूट

x. विवाद समाधान तंत्र को नया रूप दिया गया

xi. पोर्टल आधारित परियोजना निगरानी से मुद्दों का शीघ्र समाधान हो रहा है

xii. परियोजनाओं की समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर समीक्षा

*****